न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1565–पीबीआर/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 30 मई, 2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 110/2000–01/निगरानी.

अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल करीम खां
निवासी ग्राम गतारी
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– हुसैन खां पुत्र तेज खां (मृतक) द्वारा वारिसान–
1– श्रीमती बाईया पत्नी हुसैन खां
2– नवाब खां पुत्र हुसैन खां
3– कप्तान खां पुत्र हुसैन खां
4– शरीफ खां उर्फ बड़े पुत्र हुसैन खां
5– खलील खां उर्फ छोटे पुत्र हुसैन खां
निवासीगण ग्राम गतारी
परगना डबरा जिला ग्वालियर
6– अनीसा पत्नी सलीम
निवासी साईनी मोहल्ला दतिया
7– रूकसाना पत्नी सकील खां पुत्री हुसैन खां
निवासी चौपार मोहल्ला, वार्ड कमांक 13 पिछोर,
परगना डबरा जिला ग्वालियर
2– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 के वारिसान
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/9/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–5–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गतारी तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित सर्वे कमांक 298 मिन रकबा 5625 वर्गफीट भूमि का पट्टा नायब तहसीलदार, पिछोर परगना डबरा जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 54/89–90/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11–7–90 द्वारा आवेदक अब्दुल रसीद खां के पक्ष में जारी किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 हुसैन खां (मृतक) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष दिनांक 23–12–99 को प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–11–99 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 24–10–2000 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये एवं उभय पक्ष को निर्देशित किया गया कि यदि वे चाहें तो म0प्र0 वास स्थान दखल रहित (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 (जिसे आगे केवल अधिनियम, 1980 कहा जायेगा) के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष विहित प्रकिया में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2005 को आदेश पारित कर निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पट्टा नहीं दिया जाकर म.प्र. ग्रामों की दखल रहित अधिनियम (विशेष उपबंध अधिनियम) 1970 (जिसे संक्षेप में अधिनियम,

1970 कहा जायेगा) के अंतर्गत पट्टा दिया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1970 के पूर्व से कब्जा है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में आवेदक के पक्ष में आदेश हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, इसलिए इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 (मृतक) के वारिसानों के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पट्टा दिया गया है, अधिनियम, 1970 के अंतर्गत नहीं । अधिनियम, 1980 के अंतर्गत तहसीलदार को पट्टा देने का अधिकार नहीं होकर अनुविभागीय अधिकारी को है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में आवेदक की ओर से अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पट्टा दिये जाने का आधार नहीं लिया गया है, इसलिए इस स्तर पर अधिनियम, 1970 पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को म0प्र0 वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मकान बनाने हेतु पट्टा प्रदान किया गया है । उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर को अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान होने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नंहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी को अपील में मान्य करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि कर निगरानी निरस्त करने में भी उचित कार्यवाही

की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह तर्क कि तहसील न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पट्टा नहीं दिया जाकर म0प्र0 ग्रामों में की दखल रहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पट्टा दिया गया है, इस स्तर पर विचारणीय नहीं है, क्योंकि आवेदक की ओर से उक्त तर्क अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाया गया है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–5–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर